

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

क्रमांक:- प.3(ई)एसीपी/अलेसे-11/ 751

दिनांक:- 07/09/22

आदेश संख्या 69 / 2022-23

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक/कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ.14(88)वित्त(नियम)2008-1 दिनांक 01.06.2017 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रवीण कुमार जैन (5068)	16/92आर	17.06.1995	17.06.2022	—
2.*	मोहन लाल कासोटिया (3708)	168/92आर	16.06.1995	16.06.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
3.*	दिनेश कुमार सोनी (4005)	488/90	03.01.1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
4.	अशोक कुमार जैन (4181)	78/92आर	15.06.1995	15.06.2022	—
5.	सुनील कुमार जैन (5873)	56/92आर	26.06.1995	26.06.2022	—
6.*	सागर मल सामोता (5953)	89/92आर	10.07.1995	10.07.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
7.*	मदन लाल जीनगर (3700)	153/92	04.07.1995	04.07.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय तीसरी संतान के जन्म के कारण
8.	दयाराम (4058)	223/92	01.05.1995	01.05.2022	—
9.	सुरेश चन्द्र गोलेच्छा (5862)	37/92आर	17.06.1995	17.06.2022	—
10.*	घनश्याम प्रजापत (2256)	285/90	03.08.1993	03.08.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
11.	दिलीप सिंह (3991)	487/90	03.01.1994	03.01.2021	—
12.	विनोद कुमार जैन (6133)	116/92आर	15.07.1995	15.07.2022	—
13.*	दिनेश शर्मा (1185)3700	डीजीएस/92	21.01.1995	21.01.2022	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

14.	बाबूलाल फूलवारिया (8744)	338/90	23.08.1993	23.08.2020	
-----	-----------------------------	--------	------------	------------	--

*उपरोक्त क्रम संख्या 2,3,6,7,10 एवं 13 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार और आगामी वर्षों में प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14(2) एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- प.3(ई)एसीपी/अलेसे-II/751

दिनांक:- 07/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)